दूरभाष : 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

27/11

पत्रांक : 1803 / 05 / 76 / एक / 2015–16

दिनांक : 10 अगस्त 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–शामली।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37 / 83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50084784336	IFSC Code ALLA0211937	70.593

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	शामली	मलिन बस्ती 83 बजट	न0पं0 ऊन	मोहल्ला–जयसिंह (पार्ट–ए) में महेन्दर के घर से नरेन्दर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	24.066
2	शामली	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ऊन	मोहल्ला सुभाषनगर में संजीव के मकान से ओमवीर के मकान तक, महिपाल के मकान से रामकिशन की दुकान तक एवं बाल संस्थान सेन्टर से करमवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	24.832
3	शामली	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 ऊन	मोहल्ला–जयसिंह (पार्ट–बी) में संजीव के मकान से ओमवीर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	21.695
	योग				70.593

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2 स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4 अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

27/12

5 [illegible] स्तर पर जो भी [illegible] या कार्य कराये जायें [illegible] गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य [illegible] / [illegible] नियम एवं वित्तीय [illegible] के अन्तर्गत [illegible] सुनिश्चित किया जाये।

6 [illegible] परियोजनाओं में [illegible] की गयी धनराशि का [illegible] वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7 परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त [illegible] से उन्हें सम्बन्धित नगर निकाय को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि [illegible] परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों [illegible] में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। [illegible] सहमति ले ली जाये।

8 [illegible] अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग [illegible] में [illegible] उपयोगिता प्रमाण [illegible] अवमुक्त की जा रही धनराशि अभिकरण को [illegible] निर्धारित [illegible] उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अवशेष धनराशि अभिकरण को [illegible] अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा। [illegible] / अवशेष धनराशि अभिकरण का [illegible]

9 [illegible] धनराशि [illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] में [illegible] की पाबन्दी [illegible] समय से पूर्ण हो जाये। [illegible] स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य [illegible] इस प्रकार [illegible]

10 [illegible] परियोजना में भुगतान के पूर्व [illegible] की [illegible] अनिवार्य [illegible] [illegible] के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं [illegible] के निर्धारित मानकों का [illegible] सुनिश्चित किया जायेगा।

11 [illegible] की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना [illegible] स्वीकृत की गई है। किसी [illegible] धनराशि [illegible] की अवमुक्त की जा रही [illegible] शासन द्वारा [illegible] अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध [illegible]। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि [illegible] होंगे। [illegible] सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में [illegible]

12 शासन द्वारा उक्त परियोजना में [illegible] के सापेक्ष [illegible] का 50 प्रतिशत [illegible] अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अतः धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र [illegible] की गई धनराशि के सापेक्ष [illegible] निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध [illegible] करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

[illegible]

[illegible]

[illegible] प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible] परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, [illegible]

[illegible] निदेशक, सूडा।

[illegible]

[illegible] / [illegible] सूडा।

[illegible]

[illegible]